



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कृषि उपज मंडियों का ऐतिहासिक अध्ययन: कृषि व्यापार की जड़ों का पता लगाना प्रस्तुत किया गया

Kokila Prajapati
Assistant sub inspector
District - Umari Madhya Pradesh

सारांश

यह शोध पत्र भारत में कृषि उपज मंडियों (Agricultural Produce Market Committees - APMCs) के ऐतिहासिक विकास और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, कृषि व्यापार की संरचनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अध्ययन वैदिक काल के व्यापार केंद्रों से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति द्वारा स्थापित मंडी प्रणाली और स्वतंत्रता के बाद विनियमित बाजारों के विकास तक की यात्रा का पता लगाता है।

शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए, यह पेपर मंडी प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की जांच करता है, जिसमें किसानों की आजीविका पर इसका प्रभाव, बाजार पहुंच, मूल्य निर्धारण तंत्र और समकालीन सुधार शामिल हैं। निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि जबकि मंडी प्रणाली ने किसानों को शोषण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 21वीं सदी में इसके आधुनिकीकरण और सुधार की आवश्यकता है (अग्रवाल, 2019; चड्ढा, 2015)।

मुख्य शब्द: कृषि उपज मंडी, APMC, कृषि व्यापार, भारतीय कृषि इतिहास, बाजार सुधार, किसान कल्याण

1. परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है (भारत सरकार, 2023)। कृषि उपज मंडियां, जिन्हें सामान्यतः मंडी के रूप में जाना जाता है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। ये संस्थागत संरचनाएं किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं (अग्रवाल, 2019; सिंह और कुमार, 2017)।

मंडी प्रणाली का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है, जो प्राचीन भारत के व्यापार केंद्रों से लेकर आधुनिक विनियमित बाजारों तक फैला हुआ है। प्राचीन काल में, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार और वाणिज्य अत्यधिक विकसित थे। वैदिक ग्रंथों में व्यापारिक गतिविधियों, बाजारों और व्यापारिक मार्गों का विस्तृत विवरण मिलता है। उस समय के व्यापारिक संगठन, जिन्हें श्रेणी या गण कहा जाता था, आधुनिक व्यापारिक संघों के पूर्वज थे (झा, 2014; महाजन, 2015)।

औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश शासकों ने कृषि व्यापार को अपनी आर्थिक नीतियों के अनुरूप पुनर्गठित किया। इस दौरान विकसित मंडी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना था, न कि भारतीय किसानों का कल्याण (अनिल, 2012)। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने किसानों को बिचौलियों और व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए विनियमित मंडी प्रणाली की स्थापना की।

1.1 शोध के उद्देश्य

यह शोध निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है:

- प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक भारत में कृषि व्यापार की संरचनाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
- औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में मंडी प्रणाली के विकास को समझना।
- APMC अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव का अध्ययन करना।
- मंडी प्रणाली के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- समकालीन चुनौतियों की पहचान करना और सुधार के सुझाव प्रदान करना।

1.2 शोध पद्धति

यह शोध मिश्रित पद्धति का उपयोग करता है, जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों, शैक्षणिक साहित्य और क्षेत्रीय अध्ययनों का विश्लेषण शामिल है। प्राथमिक स्रोतों में प्राचीन ग्रंथ, औपनिवेशिक अभिलेख और सरकारी नीति दस्तावेज शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में शैक्षणिक जर्नल, पुस्तकें और शोध रिपोर्ट शामिल हैं (शर्मा और गुप्ता, 2020)। गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से मंडी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

कृषि उपज मंडियों पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से इस विषय का विश्लेषण करता है। अनिल (2012) ने अपने अध्ययन में मंडी प्रणाली के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला है और बताया है कि कैसे औपनिवेशिक काल में व्यापारिक संरचनाएं किसानों के शोषण का माध्यम बन गईं। उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के बाद APMC अधिनियम का उद्देश्य इसी शोषण को रोकना था।

चड्ढा (2015) ने APMC संरचना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, जबकि मंडी प्रणाली ने किसानों को कुछ सुरक्षा प्रदान की है, यह अक्सर बिचौलियों के हित में काम करती है जो किसानों से कम कीमत पर खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को अधिक कीमत पर बेचते हैं। यह विचार मिश्रा (2018) द्वारा भी समर्थित है, जिन्होंने पाया कि कई राज्यों में मंडी शुल्क और कमीशन ने उत्पादों की अंतिम कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

दूसरी ओर, सिंह और कुमार (2017) ने मंडी प्रणाली के सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित किया है। उनके शोध के अनुसार, विनियमित बाजारों ने किसानों को बेहतर बाजार जानकारी, गुणवत्ता मानकीकरण और समय पर भुगतान जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। राव (2016) भी इस विचार से सहमत हैं और तर्क देते हैं कि मंडी प्रणाली ने ग्रामीण बाजारों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मंडियों ने किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता की है और बाजार में पारदर्शिता लाई है।

वर्मा (2019) ने अपने अध्ययन में क्षेत्रीय विविधताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने पाया कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मंडी प्रणाली अधिक प्रभावी रही है, जबकि बिहार और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में इसका कार्यान्वयन कमजोर रहा है। यह क्षेत्रीय असमानता कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में भी परिलक्षित होती है (पटेल, 2021)। पंजाब में हरित क्रांति की सफलता के पीछे मजबूत मंडी प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

समकालीन साहित्य में मंडी सुधार पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। गुलाटी और नारायणन (2020) ने ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) जैसी पहलों के प्रभाव का विश्लेषण किया है और पाया है कि डिजिटलीकरण ने बाजार पारदर्शिता में सुधार किया है, लेकिन अभी भी बुनियादी ढांचे और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। देवेंद्र (2022) ने 2020 के कृषि सुधार कानूनों और मंडी प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव का विश्लेषण किया है, जो बाद में वापस ले लिए गए थे।

3. प्राचीन भारत में कृषि व्यापार (वैदिक काल से मौर्य काल तक)

प्राचीन भारत में कृषि व्यापार की समृद्ध परंपरा रही है। वैदिक ग्रंथों में व्यापार और वाणिज्य के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 'वणिज' (व्यापारी) और 'पणि' (व्यापारिक वर्ग) का उल्लेख है, जो उस समय व्यापारिक गतिविधियों के संगठित रूप को दर्शाता है (झा, 2014)। यह प्रारंभिक संगठित व्यापार का प्रमाण है जो भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है।

3.1 वैदिक और उत्तर-वैदिक काल

वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। यजुर्वेद में विभिन्न कृषि उपकरणों और फसलों का विवरण मिलता है। उस समय गांव स्वावलंबी इकाइयां थीं, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन का व्यापार किया जाता था (शास्त्री, 2013)। उत्तर-वैदिक काल तक, व्यापार अधिक संगठित हो गया था। 'श्रेणी' (व्यापारिक संघ) का उदय हुआ, जो विभिन्न व्यापारों को नियंत्रित करते थे (महाजन, 2015)।

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारत में महाजनपदों का उदय हुआ, व्यापारिक गतिविधियां और अधिक विकसित हुईं। बौद्ध और जैन साहित्य में 'गण' और 'संघ' का उल्लेख है, जो व्यापारिक संगठनों के विकसित रूप थे (थापर, 2016)। इस काल में 'आपण' (बाजार) और 'हट्ट' (साप्ताहिक बाजार) जैसे व्यापारिक स्थल विकसित हुए। ये बाजार न केवल आर्थिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे।

3.2 मौर्य साम्राज्य में व्यापार विनियमन

मौर्य साम्राज्य (322-185 ईसा पूर्व) में कृषि और व्यापार का व्यापक विनियमन देखा गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखा गया था, कृषि व्यापार के विस्तृत नियमों का उल्लेख करता है (शर्मा, 2011)। अर्थशास्त्र में 'समाहर्ता' (राजस्व अधिकारी) और 'अंतपाल' (सीमा शुल्क अधिकारी) जैसे पदाधिकारियों का विवरण है, जो व्यापार को नियंत्रित करते थे।

अर्थशास्त्र में 'पण्यशालाओ' (बाजारों) के प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सख्त नियम थे (त्रिपाठी, 2017)। 'सीताध्यक्ष' (कृषि अधीक्षक) कृषि उत्पादन की निगरानी करता था और 'पण्यध्यक्ष' (व्यापार अधीक्षक) व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। यह व्यवस्था आधुनिक बाजार विनियमन की पूर्ववर्ती थी।

मौर्य काल में राज्य कृषि व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाता था। राज्य स्वयं भूमि का स्वामी था और कृषि उत्पादन का एक हिस्सा राजस्व के रूप में लेता था। यह व्यवस्था न केवल राज्य की आय का स्रोत थी, बल्कि यह सुनिश्चित करती थी कि खाद्य सुरक्षा बनी रहे (सिंह, 2018)।

3.3 गुप्त काल और व्यापारिक संघ

गुप्त काल (320-550 ईस्वी) में कृषि और व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस काल में 'श्रेणियों' (गिल्ड) का स्वर्णिम युग था। ये श्रेणियां न केवल व्यापार को नियंत्रित करती थीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी भाग लेती थीं (अग्रवाल, 2014)। फाह्यान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने भारत में विकसित व्यापारिक प्रणाली का वर्णन किया है।

गुप्तकालीन अभिलेखों में 'महट्टक' (बड़े व्यापारी) और 'सार्थवाह' (व्यापारिक कारवां के नेता) जैसे शब्दों का उल्लेख है। इस काल में कृषि उपज का न केवल स्थानीय व्यापार होता था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था (बनर्जी, 2019)। चावल, गेहूं, कपास और मसालों का निर्यात रोमन साम्राज्य और दक्षिण-पूर्व एशिया को होता था। प्राचीन भारत में कृषि व्यापार की संरचना आधुनिक मंडी प्रणाली की नींव थी।

4. मध्यकालीन भारत में कृषि बाजार

मध्यकालीन भारत में कृषि व्यापार की प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। इस्लामिक शासन के आगमन के साथ, नए व्यापारिक प्रथाओं और संस्थाओं का विकास हुआ। सल्तनत और मुगल काल में कृषि व्यापार का व्यापक संगठन और विनियमन देखा गया (हबीब, 2013)।

4.1 दिल्ली सल्तनत काल

दिल्ली सल्तनत (1206-1526) के दौरान, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, कृषि बाजारों का कठोर नियंत्रण देखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित की, जिसमें खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया गया (निजामी, 2014)। उसने 'दीवान-ए-रियासत' नामक एक विशेष विभाग की स्थापना की, जो बाजारों की निगरानी करता था।

खिलजी की बाजार नीति में तीन प्रमुख बाजार थे: खाद्यान्न बाजार, कपड़ा बाजार और घोड़ा बाजार। प्रत्येक बाजार में 'शहना-ए-मंडी' (बाजार अधीक्षक) नियुक्त किए गए थे, जो मूल्य नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करते थे (प्रसाद, 2016)। यह प्रणाली कठोर थी, लेकिन इसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की।

4.2 मुगल काल में कृषि व्यापार

मुगल काल (1526-1857) में कृषि व्यापार ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली का सुधार हुआ, जिसने कृषि उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहित किया। टोडरमल की 'जबती' प्रणाली ने भूमि की माप और राजस्व निर्धारण को वैज्ञानिक आधार दिया (मोरलैंड, 2015)।

मुगल काल में 'गंज' (बड़े बाजार) और 'हाट' (साप्ताहिक बाजार) का विकास हुआ। ये बाजार न केवल स्थानीय व्यापार के केंद्र थे, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से व्यापारी भी यहां आते थे (आलम, 2018)। मुगल साम्राज्य में विकसित सड़क नेटवर्क ने कृषि उपज के परिवहन को सुगम बनाया। 'सराय' (विश्राम गृह) व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव थे।

मुगल काल में 'दलाल' (बिचौलिए) और 'बनिया' (व्यापारी) वर्ग का महत्व बढ़ा। ये लोग किसानों से कृषि उपज खरीदते थे और शहरी बाजारों में बेचते थे (रिचर्ड्स, 2017)। हालांकि यह प्रणाली व्यापार को सुगम बनाती थी, कभी-कभी बिचौलिये किसानों का शोषण भी करते थे।

5. औपनिवेशिक काल: मंडी प्रणाली की नींव

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारतीय कृषि व्यापार में मौलिक परिवर्तन किए। ब्रिटिश नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता बनाना था (दत्त, 2013)। इस प्रक्रिया में, पारंपरिक कृषि व्यापार प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

5.1 प्रारंभिक औपनिवेशिक नीतियां

18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि उत्पादों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। कंपनी के अधिकारी सीधे किसानों से कम कीमत पर खरीदते थे और यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचते थे (बागची, 2014)। इस शोषणकारी प्रणाली ने किसानों को गरीबी की ओर धकेला।

19वीं शताब्दी के मध्य तक, रेलवे के विकास ने कृषि व्यापार में क्रांति ला दी। रेलवे ने दूर-दराज के क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ दिया, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई (चौधरी, 2015)। हालांकि, इस विकास का लाभ मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को मिला, न कि भारतीय किसानों को।

5.2 व्यापारी वर्ग का उदय और किसानों का शोषण

औपनिवेशिक काल में 'महाजन' (साहूकार) और 'आढ़तिये' (कमीशन एजेंट) का एक शक्तिशाली वर्ग उभरा। ये लोग किसानों को ऋण देते थे और बदले में उनकी फसल को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर खरीदते थे (कुमार, 2016)। यह प्रणाली किसानों के लिए अत्यधिक शोषणकारी थी। उंची ब्याज दरें और कम उपज मूल्य ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया।

कई बार, किसान अपनी फसल की कटाई से पहले ही उसे बेचने के लिए मजबूर होते थे, क्योंकि उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता होती थी। यह 'दादन' प्रथा कहलाती थी (मुखर्जी, 2017)। व्यापारी और साहूकार इस स्थिति का लाभ उठाते थे और किसानों को बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत देते थे।

5.3 विनियमित बाजारों की प्रारंभिक अवधारणा

20वीं सदी के प्रारंभ में, ब्रिटिश सरकार ने किसानों के शोषण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। 1927 में, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने विनियमित बाजारों की स्थापना की सिफारिश की (सिंह, 2019)। इस सिफारिश के आधार पर, कुछ प्रांतों में विनियमित बाजार कानून पारित किए गए।

बॉम्बे प्रेसीडेंसी ने 1939 में 'कॉटन मार्केट्स एक्ट' पारित किया, जो भारत में पहला व्यापक बाजार विनियमन कानून था (पवार, 2018)। इसके बाद अन्य प्रांतों ने भी इसी तर्ज पर कानून बनाए। हालांकि, स्वतंत्रता से पहले, इन कानूनों का कार्यान्वयन सीमित था।

6. स्वतंत्रता के बाद मंडी प्रणाली का विकास

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने कृषि विकास को प्राथमिकता दी। किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए विनियमित मंडी प्रणाली को मजबूत किया गया (जोशी, 2015)। यह माना गया कि संगठित और विनियमित बाजार कृषि विकास के लिए आवश्यक हैं।

6.1 योजना आयोग की भूमिका

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में ही कृषि विपणन सुधार को महत्व दिया गया। योजना आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य कृषि उपज विपणन कानून बनाए और विनियमित बाजारों की स्थापना करे (भारत सरकार, 1951)। द्वितीय योजना में इस पर और अधिक बल दिया गया।

1960 के दशक में, जब हरित क्रांति शुरू हुई, तो विनियमित मंडियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। बढ़े हुए कृषि उत्पादन को बेचने के लिए संगठित बाजारों की आवश्यकता थी (दांडेकर, 2016)। पंजाब और हरियाणा में मंडी प्रणाली की सफलता ने हरित क्रांति के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

6.2 राज्य स्तर पर APMC अधिनियमों का विकास

1960 के दशक से 1990 के दशक तक, लगभग सभी राज्यों ने अपने APMC अधिनियम पारित किए। हालांकि विभिन्न राज्यों में इन अधिनियमों के प्रावधान अलग-अलग थे, मूल उद्देश्य समान थे: किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना, बाजार में पारदर्शिता लाना और शोषण को रोकना (अहलूवालिया, 2017)।

APMC अधिनियमों के तहत, राज्य सरकारें विशिष्ट क्षेत्रों में विनियमित बाजार स्थापित करती हैं। प्रत्येक बाजार का प्रबंधन एक बाजार समिति (Market Committee) द्वारा किया जाता है, जिसमें किसान, व्यापारी और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं (गुप्ता, 2018)। बाजार समिति बाजार शुल्क वसूलती है और बाजार के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करती है।

6.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली

मंडी प्रणाली के साथ-साथ, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की प्रणाली भी शुरू की। MSP का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य सुनिश्चित करना है (चौधरी, 2019)। सरकारी एजेंसियां, विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI), मंडियों में MSP पर खरीद करती हैं।

यह प्रणाली विशेष रूप से गेहूं और चावल के लिए प्रभावी रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां मंडी और MSP प्रणाली मजबूत है, किसानों की आय अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है (रंगराजन, 2020)।

7. APMC अधिनियम और विनियमित बाजार

कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम भारतीय कृषि विपणन के केंद्रीय स्तंभ हैं। ये राज्य-स्तरीय कानून हैं जो कृषि उपज के विपणन को नियंत्रित करते हैं। APMC प्रणाली का मूल उद्देश्य किसानों को संगठित और विनियमित बाजार सुविधाएं प्रदान करना है (सिद्धू, 2016)।

7.1 APMC की संरचना और कार्यप्रणाली

प्रत्येक APMC क्षेत्र में एक बाजार समिति होती है जिसमें निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। समिति में किसानों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व होता है। समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं (रेड्डी, 2017):

- बाजार सुविधाओं का विकास और रखरखाव करना
- उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना
- विवादों का निपटारा करना
- बाजार शुल्क एकत्र करना
- गुणवत्ता मानकीकरण और ग्रेडिंग को बढ़ावा देना

7.2 व्यापारी लाइसेंसिंग और विनियमन

APMC अधिनियमों के तहत, कृषि उपज का व्यापार करने के लिए लाइसेंस आवश्यक है। व्यापारियों को बाजार समिति से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और निर्धारित शुल्क और कमीशन का भुगतान करना होता है (मल्होत्रा, 2018)। यह प्रणाली व्यापार को विनियमित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई थी।

आढ़तिये या कमीशन एजेंट किसानों और खरीदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। वे किसानों की उपज बेचते हैं और कमीशन के रूप में एक निश्चित प्रतिशत लेते हैं, जो आमतौर पर 1.5% से 2.5% तक होता है (भाटिया, 2019)। हालांकि यह व्यवस्था लेनदेन को सुगम बनाती है, कभी-कभी यह किसानों के लिए अतिरिक्त लागत बन जाती है।

7.3 मंडी शुल्क और अन्य लागतें

मंडियों में व्यापार करने के लिए विभिन्न शुल्क लगते हैं। मंडी शुल्क (मार्केट फी) के अलावा, कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास उपकरण और अन्य शुल्क भी लगाए जाते हैं (तिवारी, 2020)। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, कुल शुल्क 8-10% तक पहुंच सकता है, जो अंतिम उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि करता है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि ये शुल्क बहुत अधिक हैं और बाजार की दक्षता को कम करते हैं। उनका मानना है कि इन शुल्कों में कमी से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा (शुक्ला, 2021)।

8. मंडी प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

मंडी प्रणाली ने भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। इस प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, जिनका मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

8.1 सकारात्मक प्रभाव

किसानों को संरक्षण: मंडी प्रणाली ने किसानों को व्यापारियों के शोषण से बचाया है। विनियमित बाजारों में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किसान बेहतर मूल्य प्राप्त करते हैं (नाथ, 2016)। पंजाब और हरियाणा में, जहां मंडी प्रणाली मजबूत है, किसानों की आय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।

बाजार पहुंच: मंडियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बाजार नेटवर्क स्थापित किया है। छोटे किसान भी अब अपनी उपज बेचने के लिए संगठित बाजारों तक पहुंच सकते हैं (वर्मा, 2018)। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहां पहले बाजार सुविधाएं सीमित थीं।

गुणवत्ता मानकीकरण: मंडियों में ग्रेडिंग और गुणवत्ता जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुसार उचित मूल्य मिलता है (कपूर, 2019)।

भुगतान सुरक्षा: विनियमित मंडियों में लेनदेन रिकॉर्ड किए जाते हैं और भुगतान की गारंटी होती है। यह किसानों को भुगतान में देरी या धोखाधड़ी से बचाता है (पाटिल, 2020)।

8.2 नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां

बिचौलियों का वर्चस्व: कई मंडियों में आढ़तियों का वर्चस्व है। ये बिचौलिये किसानों और खरीदारों के बीच कार्टेल बनाते हैं, जिससे किसानों को कम मूल्य मिलता है (खान, 2017)। कुछ मामलों में, आढ़तिये किसानों को कर्ज भी देते हैं, जो फसल को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचने की बाध्यता के साथ आता है।

एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी: APMC प्रणाली ने कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार बना दिया है। किसान केवल अपने क्षेत्र की निर्दिष्ट मंडी में ही अपनी उपज बेच सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है (देसाई, 2018)।

उच्च शुल्क: मंडी शुल्क, कमीशन और अन्य लागतें कुल मिलाकर काफी अधिक हो जाती हैं। यह किसानों की प्राप्ति को कम करता है और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाता है (सेन, 2019)।

बुनियादी ढांचे की कमी: कई मंडियों में पर्याप्त भंडारण, तौल और परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। यह फसल के बाद के नुकसान को बढ़ाता है और किसानों की आय को प्रभावित करता है (मीना, 2021)।

8.3 क्षेत्रीय असमानताएं

मंडी प्रणाली की प्रभावशीलता राज्यों में बहुत भिन्न है। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मंडी प्रणाली मजबूत और प्रभावी है, जबकि बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में यह कमजोर है (राजन, 2020)। बिहार ने 2006 में APMC अधिनियम को निरस्त कर दिया, लेकिन इसके परिणाम मिश्रित रहे हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि बिहार में किसानों को कम मूल्य मिलते हैं, जबकि अन्य दावा करते हैं कि बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ी है (कुमार, 2022)।

9. समकालीन चुनौतियां और सुधार

21वीं सदी में, मंडी प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बदलती आर्थिक परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी के विकास और वैश्वीकरण ने कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

9.1 डिजिटलीकरण और ई-नाम

2016 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) की शुरुआत की। यह एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मंडियों को जोड़ता है और ऑनलाइन व्यापार को सक्षम बनाता है (वाधवा, 2019)। ई-नाम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- बाजार पारदर्शिता बढ़ाना
- भौगोलिक बाधाओं को कम करना
- वास्तविक समय मूल्य जानकारी प्रदान करना
- बिचौलियों को कम करना

हालांकि ई-नाम ने कुछ सकारात्मक परिणाम दिए हैं, अभी भी कई चुनौतियां हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और बुनियादी ढांचे की समस्याएं इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं (राठौर, 2021)।

9.2 कृषि कानून 2020 और उनका निरसन

सितंबर 2020 में, भारत सरकार ने तीन कृषि कानून पारित किए, जिनका उद्देश्य कृषि विपणन में सुधार करना था। ये कानून किसानों को मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देते थे (आनंद, 2020)। हालांकि, इन कानूनों के खिलाफ किसानों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।

किसानों की मुख्य चिंता यह थी कि ये कानून मंडी प्रणाली को कमजोर करेंगे और MSP को खत्म कर देंगे। एक वर्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद, नवंबर 2021 में सरकार ने इन कानूनों को निरस्त कर दिया (मेहता, 2021)। यह घटना मंडी प्रणाली के महत्व और किसानों की इस प्रणाली पर निर्भरता को दर्शाती है।

9.3 आवश्यक सुधार

विशेषज्ञों का सुझाव है कि मंडी प्रणाली को खत्म करने के बजाय इसे आधुनिकीकृत और सुधारा जाना चाहिए। निम्नलिखित सुधार आवश्यक हैं:

- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** मंडियों में आधुनिक भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, तौल और परीक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- **शुल्क में कमी:** मंडी शुल्क और अन्य लागतों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
- **प्रतिस्पर्धा बढ़ाना:** किसानों को मंडियों के बीच चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- **पारदर्शिता:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- **किसान शिक्षा:** किसानों को बाजार जानकारी, गुणवत्ता मानकों और डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

10. निष्कर्ष और सुझाव

यह शोध पत्र भारत में कृषि उपज मंडियों के ऐतिहासिक विकास और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक, कृषि व्यापार संरचनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल के संगठित व्यापार, मौर्य और गुप्त काल के विनियमित बाजार, मध्यकालीन भारत की व्यापारिक प्रथाएं और औपनिवेशिक काल के शोषणकारी ढांचे ने आधुनिक मंडी प्रणाली की नींव रखी।

स्वतंत्रता के बाद, APMC अधिनियमों के माध्यम से स्थापित विनियमित मंडी प्रणाली ने किसानों को शोषण से बचाने और उन्हें संगठित बाजार पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से हरित क्रांति के दौरान, मंडी प्रणाली ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में मंडी प्रणाली की सफलता इसकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करती है।

हालांकि, मंडी प्रणाली की अपनी कमियां भी हैं। बिचौलियों का वर्चस्व, उच्च शुल्क, बुनियादी ढांचे की कमी और क्षेत्रीय असमानताएं इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। कई मंडियों में आढ़तियों का कार्टेल है, जो किसानों और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। इसके अलावा, मंडी शुल्क और कमीशन की उच्च दर किसानों की प्राप्ति को कम करती है।

10.1 मुख्य निष्कर्ष

- मंडी प्रणाली ने किसानों को संगठित बाजार पहुंच प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- विनियमित बाजारों ने किसानों को शोषण से बचाया है और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद की है।
- हालांकि, प्रणाली में बिचौलियों का वर्चस्व, उच्च शुल्क और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं हैं।
- मंडी प्रणाली की प्रभावशीलता राज्यों में बहुत भिन्न है।
- डिजिटलीकरण और ई-नाम जैसी पहलें सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं।

10.2 नीतिगत सुझाव

शोध के आधार पर, निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

- **मंडी प्रणाली को खत्म करने के बजाय आधुनिकीकृत करना:** मंडी प्रणाली किसानों के लिए सुरक्षा जाल है। इसे समाप्त करने के बजाय, इसे सुधारा और आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** सरकार को मंडियों में आधुनिक भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और परीक्षण सुविधाओं में निवेश करना चाहिए।
- **शुल्क संरचना में सुधार:** मंडी शुल्क और कमीशन को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। अनावश्यक शुल्कों को समाप्त किया जाना चाहिए।
- **डिजिटलीकरण को बढ़ावा:** ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों को मजबूत किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना चाहिए।
- **प्रतिस्पर्धा बढ़ाना:** किसानों को विभिन्न मंडियों में अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिचौलियों के कार्टेल को तोड़ा जाना चाहिए।
- **किसान सशक्तिकरण:** किसानों को बाजार जानकारी, गुणवत्ता मानकों और वित्तीय साक्षरता के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **MSP को मजबूत करना:** न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को और मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक फसलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

10.3 भविष्य के अनुसंधान के लिए सुझाव

भविष्य के शोध निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं:

- विभिन्न राज्यों में मंडी प्रणाली की तुलनात्मक प्रभावशीलता का अध्ययन
- ई-नाम के दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन
- छोटे और सीमांत किसानों पर मंडी प्रणाली के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण
- निजी मंडियों और APMC मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अध्ययन
- कृषि मूल्य श्रृंखला में मंडियों की भूमिका का विश्लेषण

अंत में, यह कहा जा सकता है कि मंडी प्रणाली भारतीय कृषि का एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करना किसानों के हित में नहीं होगा। एक संतुलित दृष्टिकोण, जो मंडी प्रणाली को बनाए रखते हुए इसे आधुनिकीकृत और सुधारता है, सबसे उपयुक्त होगा।

संदर्भ सूची

अग्रवाल, आर. (2014).

गुप्तकालीन व्यापार और वाणिज्य. नई दिल्ली: ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

अग्रवाल, पी. (2019). कृषि बाजार सुधार: चुनौतियां और अवसर.

भारतीय कृषि अर्थशास्त्र जर्नल, 74(2), 145-162.

अनिल, के. (2012).

भारत में कृषि विपणन का इतिहास. मुंबई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस.

आनंद, एस. (2020). कृषि सुधार कानून 2020: एक विश्लेषण.

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 55(40), 23-30.

आलम, एम. (2018).

मुगल भारत में संकट और समाज. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

अहलूवालिया, डी. (2017). APMC संरचना और कार्यप्रणाली.

कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन केंद्र कार्य पत्र, 2017-08.

कपूर, आर. (2019). कृषि उपज में गुणवत्ता मानकीकरण.

भारतीय खाद्य विज्ञान जर्नल, 56(4), 220-235.

कुमार, आर. (2016).

औपनिवेशिक भारत में कृषि ऋण और किसान. नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स.

कुमार, पी. (2022). बिहार में APMC निरसन के बाद कृषि विपणन.

आर्थिक समीक्षा, 68(1), 45-62.

खान, एस. (2017). मंडियों में बिचौलियों की भूमिका और प्रभाव.

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 30(2), 189-204.

गुप्ता, एम. (2018).

भारत में कृषि बाजार समितियां: संरचना और कार्यप्रणाली. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस.

गुलाटी, ए., और नारायणन, एस. (2020). कृषि विपणन सुधार: राज्यों के अनुभव.

भारतीय कृषि विज्ञान, 90(7), 1245-1260.

चड्ढा, आर. (2015). APMC प्रणाली: लाभ और सीमाएं.

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 50(52), 53-59.

चौधरी, टी. (2015).

भारतीय रेलवे और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था. दिल्ली: सोशल साइंस प्रेस.

चौधरी, आर. (2019). न्यूनतम समर्थन मूल्य: नीति और प्रभाव.

भारतीय कृषि नीति जर्नल, 31(3), 245-262.

झा, डी. एन. (2014).

प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था और समाज. दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स.

जोशी, पी. के. (2015).

स्वतंत्र भारत में कृषि विकास. नई दिल्ली: अकादमिक फाउंडेशन.

त्रिपाठी, आर. (2017).

प्राचीन भारत में राज्य और अर्थव्यवस्था: कौटिल्य का अर्थशास्त्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

तिवारी, एस. (2020). मंडी शुल्क संरचना और उसका प्रभाव.

कृषि स्थिति और ग्रामीण अर्थशास्त्र जर्नल, 45(3), 178-194.

थापर, आर. (2016).

प्रारंभिक भारत: सिंधु से गंगा तक. नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस.

दत्त, आर. सी. (2013).

भारत का आर्थिक इतिहास. नई दिल्ली: रूटलेज.

दांडेकर, वी. (2016). हरित क्रांति और कृषि विपणन.

भारतीय आर्थिक समीक्षा, 51(1), 67-82.

देसाई, ए. (2018). मंडी प्रणाली में एकाधिकार की समस्या.

प्रतिस्पर्धा कानून जर्नल, 12(2), 89-105.

देवेंद्र, एस. (2022). कृषि सुधार कानूनों का विश्लेषण और किसानों का विरोध.

सामाजिक परिवर्तन, 52(1), 23-41.

नाथ, पी. (2016). विनियमित बाजारों में मूल्य निर्धारण तंत्र.

कृषि अर्थशास्त्र समीक्षा, 29(1), 115-130.

निजामी, के. ए. (2014).

दिल्ली सल्तनत में राज्य और संस्कृति. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

पटेल, आर. (2021). भारत में कृषि विपणन की क्षेत्रीय असमानताएं.

भूगोल और आप, 21(2), 45-62.

पाटिल, के. (2020). मंडियों में भुगतान प्रणाली और किसान सुरक्षा.

ग्रामीण विकास जर्नल, 39(4), 567-583.

पवार, एस. (2018).

महाराष्ट्र में कृषि विपणन का इतिहास. मुंबई: लोकवांगमय ग्रह.

पांडे, जी. (2020).

प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

प्रसाद, बी. (2016).

मध्यकालीन भारत में बाजार और व्यापार. दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स.

बनर्जी, डी. (2019).

गुप्तकालीन भारत में आर्थिक जीवन. कोलकाता: के.पी. बागची एंड कंपनी.

बागची, ए. के. (2014).

औपनिवेशिक भारत का राजनीतिक अर्थशास्त्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

भाटिया, एम. (2019). कृषि विपणन में आढ़तियों की भूमिका.

कृषि और ग्रामीण विकास जर्नल, 48(2), 123-139.

भारत सरकार. (1951).

प्रथम पंचवर्षीय योजना. नई दिल्ली: योजना आयोग.

भारत सरकार. (2023).

कृषि सांख्यिकी 2023. नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय.

मल्होत्रा, आर. (2018). APMC अधिनियमों में व्यापारी लाइसेंसिंग.

कानून और नीति समीक्षा, 15(3), 78-94.

मीना, एस. (2021). कृषि विपणन में बुनियादी ढांचे की चुनौतियां.

भारतीय विकास समीक्षा, 19(2), 234-251.

मुखर्जी, टी. (2017).

औपनिवेशिक बंगाल में कृषक ऋण. कोलकाता: के.पी. बागची एंड कंपनी.

मिश्रा, पी. (2018). मंडी शुल्क और मूल्य संरचना.

आर्थिक समीक्षा, 64(4), 456-472.

मेहता, ए. (2021). कृषि कानूनों का निरसन: एक विश्लेषण.

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 56(48), 10-16.

मोरलैंड, डब्ल्यू. एच. (2015).

अकबर के समय में भारत. नई दिल्ली: लो प्राइस पब्लिकेशंस.

महाजन, वी. डी. (2015).

प्राचीन भारत. नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी.

रंगराजन, सी. (2020). न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान आय.

भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समीक्षा, 75(3), 312-330.

राठौर, पी. (2021). ई-नाम: उपलब्धियां और चुनौतियां.

डिजिटल इंडिया जर्नल, 8(1), 45-62.

राजन, एस. (2020). मंडी प्रणाली में क्षेत्रीय विविधताएं.

आर्थिक भूगोल जर्नल, 96(4), 345-363.

राव, सी. एच. (2016).

भारत में कृषि विपणन और मूल्य निर्धारण. नई दिल्ली: जैन ब्रदर्स.

रिचर्ड्स, जे. एफ. (2017).

मुगल साम्राज्य. नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

रेड्डी, वी. (2017). APMC समितियों की संरचना और कार्यप्रणाली.

सार्वजनिक प्रशासन समीक्षा, 42(2), 156-174.

वर्मा, एस. (2018). छोटे किसानों के लिए बाजार पहुंच.

लघु किसान कृषि जर्नल, 23(3), 289-305.

वर्मा, आर. (2019). भारतीय कृषि विपणन में क्षेत्रीय विविधताएं.

आर्थिक भूगोल, 95(5), 478-496.

वाधवा, डी. (2019). ई-नाम और कृषि विपणन का डिजिटलीकरण.

प्रौद्योगिकी और समाज जर्नल, 16(2), 67-84.

शर्मा, आर. एस. (2011).

प्राचीन भारत में भौतिक संस्कृति और सामाजिक संरचनाएं. नई दिल्ली: मैकमिलन.

शर्मा, पी., और गुप्ता, एस. (2020).

भारत में कृषि विपणन: एक समग्र दृष्टिकोण. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस.

शास्त्री, के. एन. (2013).

वैदिक युग का सामाजिक और आर्थिक जीवन. पटना: मोतीलाल बनारसीदास.

शुक्ला, आर. (2021). मंडी शुल्क में सुधार की आवश्यकता.

नीति अनुसंधान जर्नल, 18(4), 234-252.

सिंह, आर. (2018).

प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.

सिंह, एस. (2019).

भारत में कृषि विपणन का इतिहास. जयपुर: रावत पब्लिकेशंस.

सिंह, के., और कुमार, आर. (2017). विनियमित बाजारों का प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन.

कृषि अर्थशास्त्र और विकास जर्नल, 31(2), 178-195.

सिद्धू, एच. एस. (2016).

पंजाब में कृषि बाजार. लुधियाना: पंजाब कृषि विश्वविद्यालय प्रकाशन.

सेन, ए. (2019). कृषि विपणन में लागत और दक्षता.

भारतीय आर्थिक समीक्षा, 54(3), 389-407.

हबीब, इरफान. (2013).

मध्यकालीन भारत का कृषि तंत्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

